कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 12.01.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–:

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जगन्नाथ पुत्र जोखन नि0 तेजपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–14/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जीवन लाल शर्मा पुत्र मयारा नि0 पेमई पुरवा मौजा पारा सराय थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–12/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. ज्ञान प्रकाश पुत्र शेर बहादुर नि0 असिधा गोहना थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–10/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. मुंशी लाल पुत्र रामनाथ नि0 काशीपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–10/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाकर एक्सीडेन्ट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना को0 देहात पुलिस ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए एक्सीडेन्ट करने के आरोपी अभियुक्त रक्षाराम पुत्र रामतीरथ सिंह नि0 डलईपुरवा मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना को0 देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0–21/21, धारा 304ए,279.337.338 भादवि व 184 एम0वी0एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 10.01.2021 को पावर हाउस लौव्वा टेपरा के पास लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाकर वादी श्री अभिषेक कुमार तिवारी पुत्र पवित्र देवराज तिवारी नि0 उमरी पूरे तिवारी पुरवा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के भाई अवशेष तिवारी की मोटरसाईकिल पर टक्कर मार दिया था। जिससे वादी के भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई द्वारा थाना को0 देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 देहात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को झंझरी ब्लॉक के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।